राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा एवं परांज (प्राशि) विभाग

क्रमांक प.5(5)प्राशि/स्था./2018 पार्ट 2 जयपुर, दिनांक : 28.09.2018

—:: आदेश ::—

तृतीय श्रेणी अध्यापक, प्रबोधक एवं शारीरिक शिक्षकों के स्थानान्तरण निम्नानुसार तत्काल प्रभाव से किये जाते है:—

क्रं. स.	नाम कर्मचारी	पद नाम मय विषय	प्रथम नियुक्ति तिथि	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जिला	नवीन पदस्थापन स्थान		
						विद्यालय का नाम	जिला	वि० वि०
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	संजय कुमारी	अध्यापिका लेवल—1	28-09-2007	राप्रावि, झंवर लूणी,जोधपुर	जोधपुर	राउप्रावि चक जैसल्या आमेर	जयपुर	
2	हीरसिंह	अध्यापक लेवल—2 (सामाजिक)	06-05-2015	राउप्रावि ब्राह्मणों की ढाणी, बेलवा बालेसर जोधपुर	जोधपुर	GUPS, NEWARI DHANI (CHHACHHARLAI KALLA) (08171304901)	बाड़मेर	
3	श्रीमती मधुबाला मीणा	अध्यापिका, लेवल—1	13-09-2012	राबाउप्रावि पिपलाद, नागोर	नागौर	राउप्रावि राजोलाई बस्सी	जयपुर	
4	चन्द्रकला,	अध्यापिका, लेवल—2 (सामाजिक)	25-05-2005	राप्रावि, गिनडी पट्टा, राजपुरा ,चुरू	चुरू	राउप्रावि गोपाल चूरू में लेवल—1 के पद पर	चुरू	
5	गणेश लाल मीणा	अध्यापक लेवल—2 (सामाजिक)	10-09-2012	रा.उत्कृष्ट उप्रावि, वगतपुरा, धरियावद, प्रतापगढ	प्रतापगढ़	राउप्रावि, पिपलिया आबाद, पीपलखुट, प्रतापगढ में रिक्त पद पर	प्रतापगढ़	
6	सत्यनारायण डामोर	अध्यापक लेवल—2 (सामाजिक)	11-09-2012	राप्रावि सागवाडिया, धरियावद, प्रतापगढ	प्रतापगढ़	राउप्रावि, बानघाटी में लेवल—1 के पद पर	प्रतापगढ़	
7	सुश्री खुशबु त्रिवेदी	अध्यापिका, लेवल—1	24-03-2015	राप्रावि, खनफला, पादरडीबडी,साग वाड़ा, डूंगरपुर	डूंगरपुर	राउप्रावि वड़लीपाड़ा प. स. बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	

www.rajteachers.com

क्रं. स.	नाम कर्मचारी	पद नाम मय विषय	प्रथम नियुक्ति तिथि	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जिला	नवीन पदस्थापन स्थान		
						विद्यालय का नाम	जिला	वि0 वि0
8	कैलाश चन्द्र	अध्यापक, लेवल–1	19.3.2015	राप्रावि, आयत्री जनावद, कुम्भलगढ, राजसमन्द	राजसमंद	राउप्रावि अरणाय का गोलया संचोर में लेवल–1 के पद पर	जालौर	
9	प्रदीप कुमार	अध्यापक, लवले–1	19.3.2015	राप्रावि गोदावतों कीभागल, ओलादर, कुम्भलगढ, राजसमन्द	राजसमंद	राप्रावि पृथ्वीराज की ढाणी, जाखडी में लेवल–1 के पद पर	जालौर	
10	कमलेश कुमार	अध्यापक, लेवल–2	08-05-2015	राउप्रावि,मगरा,विशनवास, लोहावट, जोधपुर	जोधपुर	राप्रावि .गाडरिया धोरा, सांकड, सांचोर, में लेवल–1 के पद पर	जालौर	
11	कविता चौधरी	अध्यापिका, लेवल–2 विज्ञान		राउप्रावि भगवतपुरा, दूदू,जयपुर	जयपुर	राउप्रावि बगरु रावान सांगानेर	जयपुर	
12	पुजा शर्मा	अध्यापिका, लेवल–2 गणित	21.09.2012	राउप्रावि सालरिया, बेराझुठा, रायपुर, पाली	पाली	राउप्रावि दलपतपुरा, चाकसू, जयपुर	जयपुर	
13	रामगोपाल	अध्यापक, लेवल–2 हिन्दी	11.04.2005	राउप्रावि सांडन, आहोर, जालौर	जालौर	राबाउप्रावि बल्दू, लाडनूं में लेवल–II हिन्दी के पद पर	नागौर	
14	श्रीमती लक्ष्मी शर्मा	अध्यापिका, लेवल–1	05-10-2007	राप्रावि. नारेड़ाजागीर,छीपाबड़ोद,बारा	बांरा	राउप्रावि लिसाडी, अन्ता, में इकबाल मोहम्मद शेख लेवल–2 सामान्य (नियुक्ति तिथि 03.10.2008) के स्थान पर	बांरा	
15	श्री सुनील खत्री	अध्यापिका, लेवल–1	19-03-2015	राउप्रावि. गुलाबपुरा,अन्ता, बारा	बांरा	राप्रावि पीतामपुरा किशनगंज में गोगाराम गोचर लेवल–1 (नियुक्ति तिथि 19.11. 2012) के स्थान पर	बांरा	

www.rajteachers.com

क्र. स.	नाम कर्मचारी	पद नाम मय विषय	प्रथम नियुक्ति तिथि	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जिला	नवीन पदस्थापन स्थान		
						विद्यालय का नाम	जिला	वि0 वि0
16	श्रीमती आशा शर्मा	प्रबोधक लेवल–2, गणित / विज्ञान	08-10-2008	राउप्रावि. नन्दगॉव, हिन्डोली, बून्दी	बूंदी	राउप्रावि ढाकणी पं0स0 हिण्डोली	बूंदी	
17	सुनीता गोदारा	अध्यापिका, लेवल–1	09-10-07	राउप्रावि भागवड़ पंस0 भीम राजसमन्द	राजसमंद	राउप्रावि, गोपालपुरा, चूरू	चुरू	

संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा कार्यमुक्ति एवं कार्यग्रहण के पूर्व निम्नांकित शर्तो की पालना सुनिश्चित की जावे :–

1 संबंधित कार्मिक का परिवीक्षाकाल पूर्ण न होने की स्थिति में उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे।

2 संबंधित कार्मिक लम्बे समय से अनुपस्थित हो/निलम्बित हो/ न्यायालय निर्णय से स्थगन प्राप्त हो/न्यायालय में कार्मिक के विरूद्ध वाद विचाराधीन हो, तो उनकों कार्यमुक्त नहीं किया जावे।

3 प्रबोधक तथा पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत नियुक्त ऐसे अध्यापक जिनका राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 के नियम 6 डी के तहत् चयन नहीं किया गया है, उनको शहरी क्षेत्र के लिये कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।

4 राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छया शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत् समायोजित अध्यापक को शहरी क्षेत्र हेतु कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।

5 शून्य नामांकन वाले विद्यालय में किसी भी अध्यापक का स्थानान्तरण होने पर कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।

6 कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जावें कि स्थानान्तरण प्रक्रिया से कोई विद्यालय (शून्य नामांकन वाले को छोड़कर) शिक्षक विहीन न हो जावें।

7 शिक्षक का जिला परिवर्तन होने पर कार्यमुक्ति एवं कार्यग्रहण के समय पूर्व जिले की वरिष्ठता विलोपन एवं स्थानान्तरित जिले में वरिष्ठता कनिष्ठतम होने संबंधी सहमति का शपथ पत्र लिया जावें अन्यथा कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।

8 गैर प्रतिबन्धित जिले से गैर प्रतिबन्धित जिले में अन्तर जिला स्थानान्तरित कार्मिक की प्रथम नियुक्ति दिनांक 31–12–2012 के पश्चात की हो तो, उन्हे कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।

9 प्रतिबन्धित जिले से गैर प्रतिबन्धित जिले में अन्तर जिला स्थानान्तरित कार्मिक की प्रथम नियुक्ति दिनांक 31–12–2008 के पश्चात की हो तो उन्हे कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।

10 टीएसपी से गैर टीएसपी क्षेत्र हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।

www.rajteachers.com

11 लेवल प्रथम के अध्यापक को लेवल द्वितीय के पद हेतु कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।

12 लेवल द्वितीय गणित–विज्ञान एवं अग्रेजी के शिक्षक को उसके समान पद एवं विषय के लिये ही कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण करवाया जावें।

13 लेवल–2 सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा (संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, सिंधी आदि) एवं हिन्दी का पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में लेवल प्रथम के पद पर लेवल–2 सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा (संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, सिंधी आदि) एवं हिन्दी के कार्मिकों को कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण करवाया जा सकता है।

14 संबंधित कार्मिक का स्थानान्तरण गैर प्रतिबन्धित से प्रतिबन्धित जिले में हो रहा हो, तो उनका केवल परिवीक्षाकाल पूर्ण होना सुनिश्चित किया जाकर, उनकों कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण करवाया जावें।

15 प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरण होने पर यदि हटने वाला कार्मिक निर्धारित गंभीर रोगो से ग्रसित (कैंसर रोगी, किडनी प्रत्यारोपण, ब्रेन ट्यूमर, पूर्णतः दिव्यांग, पूर्णतः दृष्टिहीन) हो तो उन्हे कार्यमुक्त न किया जावें एवं उनके विरूद्व आने वाले कार्मिक को कार्यग्रहण नहीं करवाकर उन्हे पुनः मूल पदस्थापन हेतु भेजा जावें।

16 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/पीईईओ स्थानान्तरित कार्मिक को उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित होने की स्थिति में तत्काल कार्यमुक्त करे एवं कार्मिक **दिनांक 05.10.2018** तक अनिवार्य रूप से कार्यग्रहण करे अन्यथा दोषी अधिकारी /कार्मिक के विरुद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही संपादित की जावेगी। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी **दिनांक 06.10.2018** को अपने जिले के ऐसे प्रकरणों की सूचना मय सूची निदेशालाय प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर को प्रेषित करें।

17 पीईईओ द्वारा आदेशों की पालना नहीं किये जाने पर संबंधित बीईईओ इसकी सूचना जिशिअ प्राशि को देंगे तथा जिशिअ अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव बना कर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर को प्रेषित करेंगे।

18 स्थानान्तरित कार्मिक की समस्त प्रविष्टियों का शालादर्शन पोर्टल से सत्यापन पश्चात पोर्टल के माध्यम से ही कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण करवाया जावें।

19 स्थानांतरण प्रक्रिया में इस विभाग द्वारा स्टाफिंग पैटर्न के सम्बन्ध में पत्र दिनांक 21.04.16, 24.06.16 एवं 06.07.16 से जारी दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव
प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1 विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) एवं पंचायती राज राज्य मन्त्री(प्रारम्भिक शिक्षा–स्वतन्त्र प्रभार) प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान।
2 निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
3 निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव पंचायती राज विभाग।
4 निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।

www.rajteachers.com

5 आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
6 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ कराने का श्रम करावें।
7 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश की पालना सम्बन्धित पीईईओ के माध्यम से कराने का श्रम करावें।
8 शालादर्शन प्रकोष्ठ जयपुर को पोर्टल पर मॉड्यूल द्वारा मैपिंग किये जाने हेतु प्रेषित है (पत्र क्रमांक : प.5(5)प्रा.शिक्षा/2018 जयपुर,दिनांक 22.06.18 के विन्दु सं. 6 के क्रम में)
9 उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा समस्त।
10 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा को पालना हेतु ।
11 संबंधित पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को पालना हेतु ।
12 रक्षित पत्रावली।

(जगदीश नारायण जाट)
अनुभाग अधिकारी

www.rajteachers.com

राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा एवं परांज (प्राशि) विभाग

क्रमांक प.5(5)प्राशि / स्था. / 2018 पार्ट 3 जयपुर, दिनांक : 28.09.2018

–:: आदेश ::–

तृतीय श्रेणी अध्यापक, प्रबोधक एवं शारीरिक शिक्षकों के स्थानान्तरण निम्नानुसार तत्काल प्रभाव से किये जाते है:–

क्रं. स.	नाम कर्मचारी	शाला दर्शन आईडी	पद नाम मय विषय	प्रथम नियुक्ति तिथि	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जिला	नवीन पदस्थापन स्थान		
							विद्यालय का नाम	जिला	वि0 वि0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	JAYOTI YADAV	204423	Teacher Grade-III (Level-2) **सामाजिक विज्ञान**	10-09-2012	GUPS SEVADIYA (08180605302)	JALOR	G.U.P.S. KUMBHASAR PANCHU (08030704601)	BIKANER	
2	ARVIND SINGH	152761	Teacher Grade-III (Level-2) **सामाजिक विज्ञान**	**08-05-2015**	GUPS DEVLAI BHADLAI NADI (08150105510)	JODHPUR	G.U.P.S. AMANPURA, LUNA, BAP (08150121601)	JODHPUR	
3	MANGILAL	130322	Teacher Grade-III (Level-2) **सामाजिक विज्ञान**	13-05-2015	GUPS AMANPURA, LUNA, BAP (08150121601)	JODHPUR	G.U.P.S. DEVLAI BHADLAI NADI (08150105510)	JODHPUR	
4	SUDHA YADAV	28416	Teacher Grade-III (Level-2) **सामाजिक विज्ञान**	02-02-2008	G.U.P.S. HADLA RAVLOTAN	BIKANER	G.G.U.P.S. INDIRA COLONY(08030128801) में लेवल–1 के पद पर	BIKANER	
5	RAVINDRA KUMAR MEENA	49520	Teacher Grade-III (Level-1)	22-11-2012	GPS KANKAITIYAPURA (08090600614)	KARAULI	GPS NORANGABAD (08090212703) में लेवल–1 के पद पर	KARAULI	
6	LALEE BAI	8248	Teacher Grade-III (Level-1)	22-11-2012	G.P.S. BADH BHANWATA (08100315401)	SAWAI MADH	G.U.P.S. SURGARH (08100109101)	SAWAI MADH	

www.rajteachers.com

क्रं. स.	नाम कर्मचारी	शाला दर्शन आईडी	पद नाम मय विषय	प्रथम नियुक्ति तिथि	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जिला	नवीन पदस्थापन स्थान		
							विद्यालय का नाम	जिला	वि0 वि0
						OPUR		OPUR	
7	PADHAMA RAM BAGARAI	203299	Prabodhak Level-2 **सामान्य**	21-05-2009	GPS PADAN NO 2	NAGAUR	GPS PUNIYO KI DHANI MAKORI	NAGAUR	
8	HIMMAT SINGH	202936	Prabodhak Level-2 **हिन्दी**	01-10-2008	GPS PUNIYO KI DHANI MAKORI	NAGAUR	GPS PADAN NO 2	NAGAUR	

संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा कार्यमुक्ति एवं कार्यग्रहण के पूर्व निम्नांकित शर्तो की पालना सुनिश्चित की जावे :–

1 संबंधित कार्मिक का परिवीक्षाकाल पूर्ण न होने की स्थिति में उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे।

2 संबंधित कार्मिक लम्बे समय से अनुपस्थित हो/निलम्बित हो/ न्यायालय निर्णय से स्थगन प्राप्त हो/न्यायालय में कार्मिक के विरूद्ध वाद विचाराधीन हो, तो उनकों कार्यमुक्त नहीं किया जावे।

3 प्रबोधक तथा पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत नियुक्त ऐसे अध्यापक जिनका राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 के नियम 6 डी के तहत् चयन नहीं किया गया है, उनको शहरी क्षेत्र के लिये कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।

4 राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छया शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत् समायोजित अध्यापक को शहरी क्षेत्र हेतु कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।

5 शून्य नामांकन वाले विद्यालय में किसी भी अध्यापक का स्थानान्तरण होने पर कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।

6 कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जावें कि स्थानान्तरण प्रक्रिया से कोई विद्यालय (शून्य नामांकन वाले को छोड़कर) शिक्षक विहीन न हो जावें।

7 शिक्षक का जिला परिवर्तन होने पर कार्यमुक्ति एवं कार्यग्रहण के समय पूर्व जिले की वरिष्ठता विलोपन एवं स्थानान्तरित जिले में वरिष्ठता कनिष्ठतम होने संबंधी सहमति का शपथ पत्र लिया जावें अन्यथा कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।

8 गैर प्रतिबन्धित जिले से गैर प्रतिबन्धित जिले में अन्तर जिला स्थानान्तरित कार्मिक की प्रथम नियुक्ति दिनांक 31–12–2012 के पश्चात की हो तो, उन्हे कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।

9 प्रतिबन्धित जिले से गैर प्रतिबन्धित जिले में अन्तर जिला स्थानान्तरित कार्मिक की प्रथम नियुक्ति दिनांक 31–12–2008 के पश्चात की हो तो उन्हे कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।

www.rajteachers.com

10 टीएसपी से गैर टीएसपी क्षेत्र हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।

11 लेवल प्रथम के अध्यापक को लेवल द्वितीय के पद हेतु कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।

12 लेवल द्वितीय गणित–विज्ञान एवं अग्रेजी के शिक्षक को उसके समान पद एवं विषय के लिये ही कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण करवाया जावें।

13 लेवल–2 सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा (संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, सिंधी आदि) एवं हिन्दी का पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में लेवल प्रथम के पद पर लेवल–2 सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा (संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, सिंधी आदि) एवं हिन्दी के कार्मिकों को कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण करवाया जा सकता है।

14 संबंधित कार्मिक का स्थानान्तरण गैर प्रतिबन्धित से प्रतिबन्धित जिले में हो रहा हो, तो उनका केवल परिवीक्षाकाल पूर्ण होना सुनिश्चित किया जाकर, उनकों कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण करवाया जावें।

15 प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरण होने पर यदि हटने वाला कार्मिक निर्धारित गंभीर रोगो से ग्रसित (कैंसर रोगी, किडनी प्रत्यारोपण, ब्रेन ट्यूमर, पूर्णतः दिव्यांग, पूर्णतः दृष्टिहीन) हो तो उन्हे कार्यमुक्त न किया जावें एवं उनके विरूद्व आने वाले कार्मिक को कार्यग्रहण नहीं करवाकर उन्हे पुनः मूल पदस्थापन हेतु भेजा जावें।

16 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/पीईईओ स्थानान्तरित कार्मिक को उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित होने की स्थिति में तत्काल कार्यमुक्त करे एवं कार्मिक **दिनांक 05.10.2018** तक अनिवार्य रूप से कार्यग्रहण करे अन्यथा दोषी अधिकारी /कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संपादित की जावेगी। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी **दिनांक 06.10.2018** को अपने जिले के ऐसे प्रकरणों की सूचना मय सूची निदेशालाय प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर को प्रेषित करें।

17 पीईईओ द्वारा आदेशों की पालना नहीं किये जाने पर संबंधित बीईईओ इसकी सूचना जिशिअ प्राशि को देंगे तथा जिशिअ अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव बना कर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर को प्रेषित करेंगे।

18 स्थानान्तरित कार्मिक की समस्त प्रविष्टियों का शालादर्शन पोर्टल से सत्यापन पश्चात पोर्टल के माध्यम से ही कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण करवाया जावें।

19 स्थानांतरण प्रक्रिया में इस विभाग द्वारा स्टाफिंग पैटर्न के सम्बन्ध में पत्र दिनांक 21.04.16, 24.06.16 एवं 06.07.16 से जारी दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे ।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव
प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज

www.rajteachers.com

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1 विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) एवं पंचायती राज राज्य मन्त्री(प्रारम्भिक शिक्षा–स्वतन्त्र प्रभार) प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान।
2 निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
3 निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव पंचायती राज विभाग।
4 निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
5 आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
6 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
7 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश की पालना सम्बन्धित पीईईओ के माध्यम से कराने का श्रम करावें।
8 शालादर्शन प्रकोष्ठ जयपुर को पोर्टल पर मॉड्यूल द्वारा मैपिंग किये जाने हेतु प्रेषित है (पत्र क्रमांक : प.5(5)प्रा.शिक्षा / 2018 जयपुर,दिनांक 22.06.18 के विन्दु सं. 6 के क्रम में)
9 उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा समस्त।
10 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा को पालना हेतु ।
11 संबंधित पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को पालना हेतु ।
12 रक्षित पत्रावली।

(जगदीश नारायण जाट)
अनुभाग अधिकारी

www.rajteachers.com